2022/34

न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

सरवरक (मुख पृष्ठ)

सीमा	नम्बर रजिस्टर	दायर करने की तारीख	तारीख निर्णय	पृष्ठों की संख्या	नम्बर अभिलेखागार
अपील फेराफेरी	34/22	23-2-22			

राजेन्द्र कुमार आदि **बनाम** सरकार

वकील वादी | सूचि कागजात | वकील प्रतिवादी

श्री रामप्रताप तिवाड़ी

श्री ___________

क्रम संख्या	विवरण कागजात	कागजों की संख्या
46	16-5-22	
7	29-6-22	
12	17.8.22	
29	21.9.22 तलबी रेकार्ड	
3	3.11.22	
3	12.12.22	
1	25.1.23	
5	8/3/23 रिकार्ड	
5	20/4/23	
7	31.5.23	
8	18/7/23	
18	22.8.23	
7	22-9-23	
10	14-11-23 रिकार्ड	
1	24/1/2024	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:58:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(1)

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल मोदी निवासी तहसील सूरतगढ़ आदि

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

किस्म मुकदमा:—अपील अ0धा0 75 भू0राज0अधिनियम प्रकरण सं.- 34 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
23.02.2022	आज यह पत्रावली अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील अ0धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश करने पर पेशी में ली गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16-05-2022 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	
5-22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट हाजिर। रेस्पो0 को सम्मन जारी होकर व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मंगवाने हेतु पत्र जारी होकर पत्रावली दि0 29-6-22 को पेश हो।	
29/6/22	बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब भ्रमण/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 17-8-22 को पेश हो।	
17.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित आये। सम्मन तलपाने प्राप्त हुये। जारी हो एवं रिकार्ड तलब हेतु पत्र जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 21.9.22 को पेश हो।	2744-43 17.8.22
-9-22	बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब भ्रमण/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 05.11.22 को पेश हो।	
5/11/22	ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 25-1-23 को पेश हो।	
25/1/23	ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 8/3/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:58:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मिसल नं. ....

फर्द अहकाम

दिनांक ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
13-5-2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आगामी तारीख पेशी से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु राज पैरोकार को हिदायत दी गई। पत्रावली दिनांक 24-6-2024 को पेश हो।	
24-6-24	ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 23-7-24 को पेश हो।	
23-7-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड प्राप्त है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24-7-24 को पेश हो।	
24-7-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 81- भू-राजस्व अधि० के तहत प्रस्तुत किया जिसकी प्रति रेस्पोंडेंट को उपलब्ध करवाई गई। प्रा. पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील अपीलांट ने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के ख.न. 444/4 में 6-325 है० बारानी टी.सी. भूमि सन 1969 से पूर्व की आवंटन शुदा है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने दिनांक 3-6-2006 को एकतरफा तौर पर बिना समुचित सुनवाई के मृतक [illegible] के विरुद्ध निर्णय पारित कर खारिज फरमा दी गई। प्रार्थी व अन्य वारिसान का पिता के नाम की ख.न. 444/4 की 6-325 है० भूमि पर कब्जा काश्त है। खेत में मकान निर्मित है। तथा ग्वार फसल मौका पर काश्त है। दिनांक 22.7.2024 को राजस्व कर्मचारी पटवारी मौका पर आये तथा प्रार्थी को ~~भूमि से~~ कहने लगे कि उक्त भूमि खारिज हो चुकी है इसका कब्जा छोड़ दो। भार एवं सुविधा संतुलन बमुकाबले अप्रार्थी प्रार्थी [illegible] में अधिक है अतः स्थगन आदेश का लगान	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:58:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मिसल नं. ....

फर्द अहकाम

दिनांक ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी
	फरमावे कि अप्रार्थी दौराने वाद/अपील प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। राजपैरोकार ने कथन किया कि उक्त रकबा नगरपालिका परिधि में आ चुका है। अतः इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेशानुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र में आती है उनके खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। अतः उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में होने के कारण खारिज किया गया था। बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रकबा नगरपालिका परिधि में आने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है इसलिए रकबा पैराफेरी क्षेत्र में होने के कारण और अपील रकबा खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रा॰पत्र में अंकित नहीं किए है जिससे उनकी अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा संतुलन साबित हो। अतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रा॰पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.7.24 को पेश हो। ✓	
29.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट द्वारा अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहस हेतु समय दिया जावे पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30-7-24 को पेश हो। ✓	
30.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपर बहस हेतु समय चाहा गया, समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 7-8-2024 को पेश हो। ✓	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:58:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

मिसल नं. ....

दिनांक ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
7-8-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। वकील अपीलांट द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। है। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12-8-2024 को पेश हो।	
12-8-24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट व पैरोकार राज उप०। वकील अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र सांय 3-4 बजे पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा पत्रावली तलब की जा चुकी है जिसमें मिसल मंगवाने हेतु चिट्ठी जारी हो चुकी है, सांय 3-4 बजे तक अदालत में प्रस्तुत कर दी जायेगी। वकील अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज इस सम्बंध में पेश नही किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई, दौराने बहस वकीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक LR/निग/2024/5645/गंगानगर/06/12/2024 दिनांक 8-8-2024 की फोटोप्रति पेश की है। माननीय मण्डल द्वारा उक्त पत्रावली तलब की गई है। अत: उक्त आदेश की पालना में पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर लेकर होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:58:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner